अनुदान संख्या 48 - भारी उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 48 - MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	6145,32,00		6389,53,00	4911,34,49	-1478,18,51
पूरक	Supplementary	244,21,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1478,18,01
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	26,31,00		26,32,00	1,92,99	-24,39,01
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					24,38,98

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (₹147818.51 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹24421.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुएः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹147818.51 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹24421.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"					
उद्योग	Industries					
मू.	O.	610830.00				
पू.	S.	24401.00		487545.48	487545.24	-0.24
पु.	R.	-147685.52				

(II) "इंजीनियरिंग उद्योग" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:–

(I) Under "Engineering Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग – पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का विकास" – ₹16666.43 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Other Industrial Machinery Industries - Development of Capital Goods Sector" - saving of ₹16666.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(खा) "परिवहन उपकरण उद्योग – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" – ₹125087.23 लाख की बचत (₹517197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फेम इंडिया योजना के मांग आधारित होने के कारण हुई।

(B) "Transport Equipment Industries - Development of Automobile Industry" - saving of ₹125087.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹517197.00 lakhs) was due to FAME India Scheme being demand driven.

(II) "सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास" के अंतर्गत – ₹59463.35 लाख की बचत (₹60500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने वाली पीएलआई (ऑटो) योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के वितरण के कारण हुई।

(II) Under "General - Assistance to Public Sector and other undertakings - Development of Automobile Industry" - saving of ₹59463.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹60500.00 lakhs) was due to disbursement of incentive under the PLI (Auto) Scheme being applicable in the next financial year.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹322.00 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹322.00 lakhs occurred constituting 13 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचत का आंशिक उपयोग (₹53853.26 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि "सामान्य – अन्य व्यय – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता" के अंतर्गत ₹24401.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹53853.25 लाख था।

2. The above savings were partly (₹53853.26 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹24401.00 lakhs under "General - Other Expenditure - Support to Central Public Sector Enterprises". Actual excess, however, was ₹53853.25 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईं:–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "6858"	Major Head "6858"				
इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	2419.00	..	..	..
पु.	R.	-2419.00			

(I) बीस शीर्षों के अंतर्गत ₹2431.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2412.00 लाख "परिवहन उपकरण उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण – स्कूटर इंडिया लिमिटेड को ऋण" के अंतर्गत – स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के अदालती मामलों और कर संबंधी मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹2431.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty heads; of these ₹2412.00 lakhs accounted for under "Transport Equipment Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Scooter India Limited" - due to non- finalisation of court cases and tax related cases of Scooter India Limited (SIL).